संख्या-16/2019/376/46-1-19-20(25)/2017

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2019

विषय- शासनादेश चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद,शाहजहॉपुर को अन्तर्गत 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानति धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं-29/2018/1174/46-1-18-20(25)/2017, दिनांक 05.06.2018 के अनुक्रम में गन्ना एवं चीनी आयुक्त् के पत्र सं.399-400/लेखा-श.वि. नि./2018-19 दिनांक 19-3-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05-2-2018 द्वारा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को सहायता के अन्तर्गत, 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू. 2496.00 लाख वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा भत्ता, पेंशनरी अवकाश अंशदान, मानदेय एवं अखिल भा.शो. सम. परि. गन्ना मदों में आवंटित/स्वीकृति धनराशि को आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार पुनरीक्षित करते हुए पुन: आवंटित/स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत पेंशनरी अवकाश अंशदान, पेंशन अंशदान, सेवानिवृत्तिक अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्यूटी एवं पारिश्रमिक का भुगतान मद में आवंटित करते हुए यथा आवश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को आहरित एवं व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-29/2018/1174/46-1-18-20(25)/2017, दिनांक 05.06.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाया तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2019/376(1)/46-1-19-20(25)/2017टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

8- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-16/2019/376(2)/46-1-19-20(25)/2017टी.सी., दिनांक 25 मार्च, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपयों में)

1	2	3	4
क्र.सं. अ-	**31-सहायता अनुदान-समान्य (वेतन) के अन्तर्गत मदों का विवरण**	**स्वीकृत धनराशि**	**पुनरीक्षित/स्वीकृति धनराशि**
1	वेतन	776.44	734.16
2	मॅहगाई भत्ता	984.61	972.52
3	अन्य भत्ते	81.25	40.05
4	यात्रा भत्ता	22.00	20.83
5	पेंशनरी अवकाश अंशदान	7.70	30.62
6	पेंशन अंशदान	14.00	16.24
7	मानदेय	3.00	1.82
8	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना गन्ना अंशदान	17.00	15.37
9	सेवानिवृत्तिक अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्यूटी	260.00	324.64
10	पारिश्रमिक का भुगतान	30.00	39.75
11	पेंशन हेतु प्राविधान	300.00	300.00
	योग-	2496.00	2496.00

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है